




उनवान:- रामलाल बनाम महेश बगौ0
दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
06.11.2025	<p>वादी की ओर से श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट ने दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 12.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (अमन चौधरी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
12/12/25	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... करौली... में पधार हे पत्रावली गतानुसार दिनांक... 22/11/26 को पेश हो।</p>
22/11/26	<p>पत्रावली पेश हुवा। वादी वकील 34 दिनांक प्रतिवादी नं 3 की ओर से श्री एनरबल जज के अलावा नया पेश किया एवं प्रतिवादी नं 1 की ओर से श्री प्रमोद कुमार शर्मा ए.के.के अलावा नया पेश किया जेस को उपरिष्ठ देवे जे कि 20/11/26 तारीख से पर 34 दिनांक देने के लिए रिप्लाय है जहां पत्रावली दिनांक 27/11/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  27/11/26 28/11/26 </p>
27/11/26	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... करौली... में पधार हे पत्रावली गतानुसार दिनांक... 28/11/26 को पेश हो।</p>
28/11/26	<p>पत्रावली पेश हुवा। वादी वकील एवं वादी लोड उप नहीं। एडवोकेट अलाव दिनांक 27/11/26 के बाद भी कोर्ट उपरिष्ठ नहीं। एडवोकेट वादी का दाय्य लघत एडवोकेट निषेधाज्ञा अलाव पेशी अलाव एडवोकेट में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> पत्रावली पेश हुवा एडवोकेट नखरने कर पर सीरियल दफतर दे। </p> <p style="text-align: right;">  DD </p>